निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः 6-87/बा0वि0परि0/योजना-02/2016-17, दिनांकः 13अप्रैल, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः- **लाभार्थियों के सर्वे के सम्बन्ध में।**

आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों का सर्वे वर्ष में 02 बार माह अप्रैल व अक्टूबर में कराया जाता है। सर्वे के आधार पर ही पंजीकरण कर लाभार्थी समूह को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। माह अप्रैल, 2016 का सर्वे प्रतीक्षित है। इस सम्बन्ध में आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अपने क्षेत्र में जाकर वास्तविक रूप से 06 वर्ष तक के बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं का स्थलीय सर्वे किया जाये।

माह अप्रैल, 2016 के सर्वे की कार्यवाही निम्नानुसार सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये जाते है:-

- माह की 25 तारीख तक समस्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपनी सहायिका के साथ अपने क्षेत्र में घर-घर जाकर निर्धारित प्रारूप पर पंजिका में सर्वे का कार्य पूर्ण करते हुये रिपोर्ट सम्बन्धित मुख्य सेविका को उपलब्ध करायेगी। इस हेतु आवश्यक है कि परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को बुलाकर सर्वे हेतु भली-भाँति प्रशिक्षित किया जाये, जिसमें सभी मुख्य सेविकायें भी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
- 25 से 28 तारीख तक मुख्य सेविका द्वारा अलग-अलग 05 गाँवों के आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जाकर सर्वे का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रत्येक मुख्य सेविका द्वारा अपने क्षेत्र की संकलित सूचना (आंगनबाड़ी केन्द्रवार) बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।
- परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मुख्य सेविकाओं से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट की संकलित सूचना तैयार करायेगें और प्रत्येक मुख्य सेविका के क्षेत्र से कम से कम 02 आंगनबाड़ी केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करते हुये रिपोर्ट विलम्बतम 30 तारीख तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे कि निर्धारित संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन उनके द्वारा किया गया।
- सर्वे का व्यापक प्रचार प्रसार भी करायें, जिससे सभी को जानकारी हो सके। ग्राम प्रधानों/पंचायत सदस्यों/क्षेत्र पंचायत सदस्यों व जनप्रतिनिधियों को भी सर्वे से अवगत करा दें तथा समाचार पत्रों में भी निःशुल्क प्रकाशन करायें।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी परियोजना में तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद में इस सर्वे का दैनिक अनुश्रवण करेंगे और सर्वे की गुणवत्ता व समयबद्धता के लिये उत्तरदायी होंगें।
- परियोजनाओं से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा जनपद की सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने स्तर पर करते हुये जनपद की परियोजनावार सूचना निर्धारित प्रारूप पर Microsoft Excel पर तैयार कर CD में तथा उसकी एक हार्ड कापी माह मई, 2016 के द्वितीय सप्ताह/विलम्बतम 16 तारीख तक निदेशालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे। यथा सम्भव यह भी प्रयास करेंगे कि निदेशालय में रिपोर्ट भेजने से पूर्व कुछ आंगनबाड़ी केन्द्रों के लाभार्थियों से सम्बन्धित रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन भी स्वयं कर लें।
- 05 वर्ष आयु तक के बच्चे जिनका नामांकन प्राथमिक/निजी विद्यालयों में हो गया है। सर्वे पंजिका में उनके नाम के सम्मुख विद्यालय का नाम अंकित किया जाये तथा केन्द्र पर ऐसे बच्चों की संख्या पृथक से रखे।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त कार्यक्रम से जनपद की समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अपने स्तर से अवगत कराते हुये/प्रति उपलब्ध कराते हुए उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय से सर्वे कराकर कराते हुये/प्रति उपलब्ध कराते हुये उपरोक्तानुसार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय से सर्वे कराकर सर्वे सूचना निर्धारित निम्न प्रारुप पर विलम्बतम् 16 मई, 2016 तक निदेशालय के योजना अनुभाग की ई0मेल आई0डी0 yojanaicds@gmail.com पर microsoft excel sheet पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

प्रारूप

जनपद का नाम:–

परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्र			संचालित केन्द्र		
	आ0बा0केन्द्र	मिनी आ0बा0केन्द्र	योग	आ0बा0केन्द्र	मिनी आ0बा0 केन्द्र	योग
1	2	3	4	5	6	7

सर्वे के अनुसार संख्या

0–6 माह आयु के बच्चे	06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चे	03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे	कुल (कॉलम 8+9+10)	गर्भवती	धात्री	किशोरी बालिकाएं		
						11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली	15 से 18 वर्ष आयु की समस्त	योग (कॉलम 14+15)
8	9	10	11	12	13	14	15	16

पंजीकृत संख्या

0–6 माह आयु के बच्चे	06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चे	03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे	कुल (कॉलम 17+18+19)	गर्भवती	धात्री	किशोरी बालिकाएं		
						11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली	15 से 18 वर्ष आयु की समस्त	योग (कॉलम 23+24)
17	18	19	20	21	22	23	24	25

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन: /तद्दिनांक:

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
2. उपनिदेशक, मुख्यालय को इस आशय से कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करायें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक